कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: अ0छा0क0 / 753 दिनॉक: अगस्त 10, 2018

समस्त अधिष्ठाता

Subject:- SCHEME OF 'MERIT CUM MEANS BASED SCHOLARSHIP' FOR STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES A.Y. 2018-19

उपरोक्त विषयक विज्ञप्ति निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) में उपलब्ध दिशा–निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध,जैन पारसी समुदाय) विद्यार्थी उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन करते समय **G.B.PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY** का चयन करें, अलग–अलग महाविद्यालयों का चयन न करें अन्यथा इस कार्यालय से सत्यापन नहीं हो सकेगा।

भारत सरकार के के छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) के दिशा–निर्देशों एवं विश्व विद्यालय की शैक्षिक नियमावली 2013 के "CHAPTER XII REGULATIONS FOR THE AWARD OF FELLOWSHIP/ SCHOLARSHIP BY OUT SIDE AGENCIES" के अध्याय 6(IV) The student on Academic Probation/ Conduct Probation shall not be eligible for the financial aids के अधीन छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 30.09.2018** निर्धारित है। अतः सभी सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें कि वे निर्धारित तिथि तक भारत सरकार के पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) पर आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्डकॉपी (स्वहस्ताक्षरित, परामर्शदाता एवं अधिष्ठाता से हस्ताक्षरित कराकर) सभी अभिलेखों सहित इस कार्यालय में 05.10.2018 तक प्रस्तुत करें। सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को यह भी अवगत करा दिया जाये कि उनके आधार कार्ड एवं प्रमाण पत्रों में अंकित नाम व जन्मतिथि समान होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों को पोर्टल पर सभी वांछित अभिलेख अपलोड करने आवश्यक है।

सभी सम्बन्धित पात्र विद्यार्थियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन कर इसकी हार्डकॉपी समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 05.10.2018 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय से सत्यापित (Verify) करके भेजना सम्भव नहीं होगा और इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(आर0 एस0 जादौन)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को विद्यार्थियों के मध्य प्रसार हेतु।
2. समस्त महाविद्यालयों / छात्रावासों / कुलसचिव / पुस्तकालय / सी0सी0एफ / स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के नोटिस बोर्डो पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेवसाईट को विश्वविद्यालय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।